कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

आदेश

क्रमांक 11860 /भू–अर्जन/2018 रायगढ़, दिनांक 12/06/2018

सचिव छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक 5105/आर.नं. 2896/सात–1/2016 रायपुर दिनांक 6.9.2016 जिसमें छ.ग. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात सहमति एवं जनसुनवाई) नियम 2016 के तहत मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समूह गठन किये जाने के लेख के अनुक्रम में ग्राम जरेकेला तहसील घरघोड़ा की निजी भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3354/भू–अर्जन/2018 रायगढ़ दिनांक 14.03.2018 अनुसार गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा के प्रस्तावानुसार निम्नानुसार विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाता है –

अ. गैर सामाजिक वैज्ञानिक – 1. सुश्री विनीता सोनी, यूथ वेलफेयर सोसायटी, रायगढ़
2. डॉ0 मुकेश गोस्वामी जनमित्रम रायगढ़

ब. जन प्रतिनिधि – 1. श्रीमती आशा शिव शर्मा, अध्यक्ष, नगर पंचायत घरघोड़ा
2. श्री राधेश्याम राठिया जनपद पंचायत सदस्य छर्राटांगर

स. पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ – 1. श्री सुधीर दाण्डेकर, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर (शासन द्वारा नामांकित)
2. श्री एस.पी. दीक्षित सेवानिवृत्त, संयुक्त कलेक्टर (शासन द्वारा नामांकित)

द. तकनीकी विशेषज्ञ – 1. श्री एस.के. दीवान, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग भ/स रायगढ़

उपरोक्त विशेषज्ञ समिति समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना का मूल्यांकन उपरांत अभिमत सहित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सह पुनर्वास प्रशासक घरघोड़ा को प्रस्तुत करेंगे।

कलेक्टर,
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 11360 A/भू–अर्जन/2018 रायगढ़, दिनांक 12/06/2018

प्रतिलिपिः–

1. सचिव छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर को सूचनार्थ।
2. सचिव छ.ग. शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन रायपुर को सूचनार्थ।
3 आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व घरघोड़ा को सूचनार्थ। उपरोक्त विशेषज्ञ समिति के समक्ष सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
5 समिति के सर्व संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर,
रायगढ़ (छ.ग.)